Form-III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला-चूरू

लालचंद बनाम मुस्तफा

किस्म मुकदमा नंबरी फौजदारी प्रकरण सं. 907/2018 (सी.आई.एस. 99/2017)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.06.2023	परिवादी लालंचद मय अधिवक्ता श्री महेंद्र सींवर उप .। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त को आज दिनांक के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट अभियुक्त के पिता व भाई अशरफ द्वारा अभियुक्त के जयपुर की तरफ कमाने खाने के लिए गया हुआ कहने की रिपोर्ट के साथ लौटा है। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त दिनांक 05.12.2019 को जमानती वारंट की पालना में न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा साक्ष्य परिवादी के स्तर पर दिनांक 07.06.2022 को अभियुक्त के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 07.06.2022 से लगातार अभियुक्त के गिरफ्तार जारी किए गए। उक्त गिरफ्तार वारंट अभियुक्त के पिता व भाई अशरफ द्वारा अभियुक्त के जयपुर की तरफ कमाने खाने के लिए गया हुआ कहने की रिपोर्ट के साथ लौटे हैं। प्रकरण की अभियुक्त को जानकारी है, लेकिन अभियुक्त जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रहा है। अभियुक्त गिरफ्तारी के भय से रूहपोश हो चुका है। निकट भविष्य में अभियुक्त के मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए <u>अभियुक्त मुस्तफा पुत्र लियाकत , निवासी-घड़सीसर, तहसील-सरदारशहर, जिला-चूरू</u> को प्रकरण में मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हो। धारा 82, 83 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध पृथक से खोली जावे। परिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाए। परिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गए। अधिवक्ता परिवादी ने और साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया ।अतः साक्ष्य परिवादी बंद की जाती है। प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है। प्रकरण मफरूरी में फैसल शुमार किया जा रहा है, इसलिए पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे, इस आशय का नोट पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अंकित किया जावे। पत्रावली मफरूरी में फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफतर हो। (विजय प्रताप गोस्वामी) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला-चूरू	